



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश



लिंक रोड न0.3 पत्रकार कॉलोनी के सामने पिन कोड-462003 भोपाल

क्रमांक /NHM/HR/सं.नि.-एमओ /2022-23/6748

भोपाल दिनांक: 23 / 09 /2022

//आदेश//

दिनांक 07 सितम्बर, 2022 को आयोजित ऑनलाईन Walk-in Interview के आधार पर नीचे दी गई तालिकानुसार कुल 03 चिकित्सकों को मासिक मानदेय राशि रु. 125000/- (अक्षरी रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रतिमाह पर कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

SN	CANDIDATE ID	NAME	FATHER NAME	INTERNSHIP COMPLETION YEAR	CADRE/SPECIALIZATION	INSTITUTION ALLOTTED	SALARY
1	20862	DR. KRISHNA KUMAR MISHRA	MR. LAKSHMI PRASAD MISHRA	2013	PGMO -MD-PSYCHIATRY	SENIOR CONSULTANT, TELE MANAS CELL, MGM MEDICAL COLLEGE (MENTAL HOSPITAL) INDORE	1,25,000/-
2	20853	DR. SHIVANI DUA	MR. ARUN DUA	2016	PGMO -MD-PSYCHIATRY	CONSULTANT, TELE MANAS CELL, MGM MEDICAL COLLEGE (MENTAL HOSPITAL) INDORE	1,25,000/-
3	20861	DR. SUNEEL SINGH KUSHWA H	MR. SHISHUPAL SINGH	2017	PGMO -MD-PSYCHIATRY	CONSULTANT, TELE MANAS CELL, GWALIOR MENTAL HOSPITAL GWALIOR	1,25,000/-

संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के प्रचलित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 (संशोधित) के प्रावधानों के अधीन होंगी।
2. यह नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी।
3. आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उक्त संविदा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आवेदक को अपने समस्त शैक्षणिक, इंटरशिप, पंजीयन, कार्यअनुभव, बंध-पत्र आदि संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होंगी। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से करते हुए सत्यापन (Document Verification) किया जावेगा तदुपरांत ही संविदा सेवा अनुबंध का निष्पादन किया जावेगा। आवेदक की व्यक्तिगत नस्ती सीएमएचओ कार्यालय स्तर पर संधारित की जावेगी।
5. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच - नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
6. संविदा चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
7. नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती किया जावेगा।

(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)


(क.क. रावत)

संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

निरन्तर...2..

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.।
4. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जिला इन्दौर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. संचालक (वित्त), एनएचएम, म.प्र.।
6. क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें संभाग-इन्दौर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
9. संचालक, ग्वालियर मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर।
10. अधिष्ठाता, एम.जी.एम. मेडीकल कॉलेज इन्दौर।
11. उपसंचालक, NMHP/ SMHA एनएचएम, म.प्र.।
12. उपसंचालक, आय.टी., एनएचएम, म.प्र. की ओर वेब पोर्टल पर अपलोड हेतु।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, इन्दौर, ग्वालियर।
14. सम्बंधित चयनित संविदा चिकित्सा अधिकारी की ओर भेजकर लेख हैं कि सर्वप्रथम आवंटित जिले के सी.एम.एच.ओ कार्यालय में अपनी उपस्थिति देकर दस्तावेजों का सत्यापन (document verification) सुनिश्चित करावे।


(के.के. रावत)
संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश



लिंक रोड न0.3 पत्रकार कॉलोनी के सामने पिन कोड-462003 भोपाल

क्रमांक/NHM/HR/सं.नि.-एमओ/2022-23/6743

भोपाल दिनांक: 23/09/2022

//आदेश//


इस कार्यालय के आदेश क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./18625/2022/5010, भोपाल, दिनांक 22.7.2022 के द्वारा Dr. Rajeev Kumar Banzal S/O Sh. Nemichand Banzal की संविदा नियुक्ति स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (PGMO Paediatrics-DCH) के पद पर SNCU/PICU जिला चिकित्सालय जबलपुर हेतु मासिक मानदेय राशि रु. 110000/- प्रतिमाह पर की गई थी।

उक्त आदेश को अधिक्रमित करते हुए Dr. Rajeev Kumar Banzal की संविदा नियुक्ति स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (PGMO MD-Paediatrics) के पद पर SNCU/PICU जिला चिकित्सालय जबलपुर हेतु मासिक मानदेय राशि रु. 125000/- (अक्षरी रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के प्रचलित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 (संशोधित) के प्रावधानों के अधीन होंगी।
2. संविदा पद पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2023) के लिए होगी।
3. आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उक्त संविदा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आवेदक को अपने समस्त शैक्षणिक, इंटरनशिप, पंजीयन, कार्यअनुभव, बंध-पत्र आदि संबंधी सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से करते हुए सत्यापन (Document Verification) किया जावेगा तदुपरांत ही संविदा सेवा अनुबंध का निष्पादन किया जावेगा। आवेदक की व्यक्तिगत नस्ती सीएमएचओ कार्यालय स्तर पर संधारित की जावेगी।
5. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच - नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
6. संविदा चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।

(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)



(के.के. रावत)
संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक: 23/09/2022

पू. क्रमांक/NHM/HR/सं.नि.-एमओ/2022-23/6743

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.।
4. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश।
5. संचालक (वित्त), एनएचएम, म.प्र.।
6. क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें संभाग- जबलपुर मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. उपसंचालक, शिशु स्वास्थ्य, एनएचएम, म.प्र.।
10. सम्बंधित चयनित संविदा चिकित्सा अधिकारी की ओर भेजकर लेख है कि सर्वप्रथम आवंटित जिले के सी.एम. एच.ओ कार्यालय में अपनी उपस्थिति देकर दस्तावेजों का सत्यापन (document verification) सुनिश्चित करावे।
11. उपसंचालक, आय.टी., एनएचएम, म.प्र. की ओर वेब पोर्टल पर अपलोड हेतु।
12. आदेश नस्ती।


(के.के. रावत)
संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश